

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/132/2017-1/05/2017

लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 अनुदान संख्या-83 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमशः केन्द्रांश रु0 15828.75 व राज्यांश रु0 10552.50 लाख इस प्रकार कुल रु0 26381.25 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/2018/282/33-3-2018-100(17)/2015 दिनांक 12 फरवरी, 2018 (प्रति संलग्न) जिसके के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-83 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रु0-89300.00 लाख तथा अनुपूरक से प्राप्त रु0-52227.85 लाख कुल प्राविधान रु0-141527.85 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रु0-15828.75 लाख राज्यांश रु0 10552.50 लाख कुल रु0-26381.25 लाख (रुपये दो अरब तिरसठ करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के द्वारा रु0-22309.31 लाख, शासनादेश दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा रु0-5298.24 लाख, शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2017 के द्वारा रु0-27607.55 लाख, शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के द्वारा रु0-10981.37 लाख, शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के द्वारा रु0-6256.60 लाख तथा शासनादेश दिनांक 10-01-2018 के द्वारा रु0-4974.69 लाख पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल रु0-26381.25 लाख (रुपये दो अरब तिरसठ करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1-आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में आवंटित की जा रही है। भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त इसका समायोजन किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4-इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सेनीटेशन मिशन (SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034, आई0एफ0एस0सी0 कोड यू बी आई एन-0552135 में जमा किया जायेगा।

6-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु-13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित खाते से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60+रा. 40/के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा। 8-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मि0-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10-उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

11-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-164 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,
(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।


संख्या:1/शा0/132/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- उप निदेशक(पं)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
